राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 501/2025

मोहसीन अली –अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फतेहपुर जिला सीकर।
3. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फतेहपुर, सीकर।
4. प्रमोद कुमार, नर्सिंग अधिकारी, पीएचसी, भगासरा, फतेहपुर सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.02.2025
आदेश की दिनांक : 27.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश खदाव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर पीएससी भगासरा, फतेहपुर, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से उम्मेद चिकित्सालय जोधपुर प्रमोद कुमार के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश अनुलग्नक–2 में अपीलार्थी का नाम मोसिन अली अंकित है, जबकि अपीलार्थी का वास्तविक नाम मोहसिन अली है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.09.2020 द्वारा नियुक्ति प्रदान की जिसमें उसका नाम मोहसिन अली है (अनुलग्नक–1)। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने नरेश कोली बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में ऐसे प्रकरण में स्थगन आदेश पारित गए है। अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के उद्देश्य से 500 किमी दूर

किया गया है, जबकि अपीलीर्थी बीमारी से ग्रस्त है जिस कारण उसकी हाल ही में एमआरई हुई है (अनुलग्नक–3)।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पीएससी भगासरा, फतेहपुर, सीकर से उम्मेद चिकित्सालय जोधपुर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का नाम आलोच्य आदेश में त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। अपीलार्थी का नाम मोहसिन अली है जबकि आदेश में मोसिम अली अंकित किया गया है। हम पाते है कि यह मात्र लिपिकीय त्रुटि है। अपीलार्थी का नाम मोसिन अली अंकित होने उसकी पहचान पर में अस्पष्टता नहीं होती है। इसलिए अधिकरण उक्त आलोच्य आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाता है। जहां तक समंजन का प्रश्न है हम यह पाते है कि आलोच्य आदेश में किसी प्रकार का समंजन प्रकट नहीं होता है। स्थानांतरण सेवा की सामान्य प्रक्रिया एवं सेवा का अंग है। अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम स्तर से जारी किया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य